राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.342/2020

Superintending Engineer
Versus
Smt. Neetu Charan W/o Heeralal

माननीय न्यायाधिपति श्री अभय चतुर्वेदी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आशिष शर्मा।

:: आदेश दिनांक :: 09.07.2020

एकल पीठ सिविल अपील के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी किए जावे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता एक सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करे, जो पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को आगामी तीन सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

स्थगन पर सुना गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय–**जिला न्यायाधीश, झालावाड** द्वारा दीवानी वाद संख्या–**07/2018** में पारित निर्णय दिनांक **07.11.2019** की अनुपालना में समस्त राशि मय ब्याज के एक माह में जमा कराने की शर्त पर, प्रत्यर्थीगण के एतराज को सुरक्षित रखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय व डिक्री दिनांकित **07.11.2019** का क्रियान्वयन अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।

तदनुसार राशि जमा होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जमा शुदा राशि में से **50** प्रतिशत राशि निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी–दावेदारान को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थी इस अपील में सफल होते हैं तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी–दावेदारान द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गयी राशि पुनः अपीलार्थी को **6** प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपील के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे अन्यथा प्रत्यर्थीगण–दावेदार इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिए दायी होंगे।

शेष **50** प्रतिशत राशि इस न्यायालय के आदेश के अध्यधीन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते के रूप में जमा करायी जावे, जिसका समय समय पर अपील के निस्तारण तक नवीनीकरण कराया जावे।

(अभय चतुर्वेदी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा–68